



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28102021-230780  
CG-DL-W-28102021-230780

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, अक्टूबर 17—अक्टूबर 23, 2021 शनिवार/ आश्विन 25—कार्तिक 1, 1943  
No. 39] NEW DELHI, OCTOBER 17—OCTOBER 23, 2021, SATURDAY/ASVINA 25—KARTIKA 1, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय  
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 723.—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख)  
(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक, भारतीय बीमांकक संस्थान की परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. एम-18013/01/2011-बीमा-1]

विनोद कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 3rd September, 2021

**S.O. 723.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) (i) of sub-section (2) of Section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby nominates Shri Saurabh Mishra, Joint Secretary, Department of Financial Services as a member of the Council of the Institute of Actuaries of India to represent the Ministry of Finance vice Shri Sudhir Shyam, Economic Advisor, Department of Financial Services with immediate effect, till further orders.

[F. No. M-18013/01/2011-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2021

**का.आ. 724.**—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्रीमती रूपा दत्ता, प्रधान सलाहकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री रजत सच्चर के स्थान पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजिब बैंक) के निर्देशक मंडल में निर्देशक नामित करती है।

[फा. सं. 9/16/2012-आईएफ-1]

सौम्यजीत घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 2021

**S.O. 724.**—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (i) of Clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Ms. Rupa Dutta, Principal Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, as Director on the Board of Directors of Export Import Bank of India (Exim Bank) vice Shri Rajat Sanchar with immediate effect and until further orders.

[F. No. 9/16/2012-IF-I]

SOUMYAJIT GHOSH, Under Secy.

**विद्युत मंत्रालय**

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021

**का.आ. 725.**—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एनटीपीसी लिमिटेड के रम्मम जल विद्युत परियोजना, ग्राम सजबोटे, डाकघर कोलबोंग-बीजनवारी, जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), पिन: 734201 जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 11011/9/2017-हिंदी]

विशाल कपूर, संयुक्त सचिव (रा.भा.)